

प्रेषक,

एन.एच. रिजवी

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक : ३ | अक्टूबर, २०१२

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बी०एस०य०पी० योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान सं०-८३ से केन्द्रांश+राज्यांश की तृतीय किश्त (२५ प्रतिशत) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-५९(४) / पी०एफ०-I / २०११-१६२९, दिनांक २२.०३.२०१२ द्वारा जारी केन्द्रांश की तृतीय किश्त के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-३२८/७६/एक/बी०एस०य०पी०/२०१२-१३, दिनांक १६ मई, २०१२ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी०एस०य०पी० योजनान्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-मथुरा ५३४ आवासों के सापेक्ष ४६५ आवास ०१ परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में अनुदान संख्या-८३ से निम्नलिखित विवरणानुसार तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित केन्द्रांश+राज्यांश की तृतीय किश्त (२५ प्रतिशत) की धनराशि रु० ४,५३,०४,०००/- (रु० चार करोड़ तिरपन लाख चार हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि शासनादेश संख्या-६४९/२६-ब०प्र०-२००९-७८(बजट)/०९ दि० १८ नवम्बर, २००९ एवं द्वितीय किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि शासनादेश संख्या-९२८/२६-ब०प्र०-१०-७८(बजट)/०९, दि० २० दिसम्बर, २०१० द्वारा जारी की जा चुकी है।

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	जनपद/परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत (सेन्टेज चार्जें व लेबर सेस अतिरिक्त)	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु तृतीय किश्त (२५%) की रवैकृत धनराशि अवधारणा चुविधाओं सहित। (केन्द्रांश+राज्यांश)
१	२	३	४	५	६
१	मथुरा/मथुरा	५३४	२३६५.९७	४६५	४५३.०४
	योग				४५३.०४

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय लीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण एवं सम्बन्धित दूड़ा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित दूड़ा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
- उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के ग्राहित हस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

६१८

अपर निदेशक

०१/११/१२

क्रमांक: २ /

6. उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नड़ी रखी जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रातिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में यथा कलेन्डर वर्ष में अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
8. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एन0ए0 (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप हैं एवं आगान सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग, दिभाग द्वारा कार्यदायी संस्था से एम0ओ0य०(अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-जे0एन0एन0य०आर0एम0 के उपघटक, बेसिक सर्विसेज फार अबरन पुअर (के.50/रा.50-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1266/दस-2012, दिनांक 26.10.2012 में प्राप्त उनकी सहति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव।

संख्या- ५३३ (१)/२६-ब०प्र०-१२-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मथुरा।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1
5. वित्त (आय-व्ययक) अनु०-२/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
6. नियोजन अनु०-४
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/कम्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

(एन०एच० रिजवी)
उप सचिव।